

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन संख्या 06/2015, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के रिक्त 12 (बारह) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र म आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्त 12 (बारह) पदों में से अनारक्षित को 05 (पाँच), अनुसूचित जाति को 03 (तीन), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 02 (दो), पिछड़ा वर्ग को 01 (एक) एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 01 (एक) पद अनुमान्य है। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों को भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

2. **वेतनमान** - पी.बी.-2 9300-34800/- + ग्रेड प - 4800/- रु.
3. **शैक्षिक योग्यता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थान से द्वितीय श्रेणी, एम.एस.सी., भूगर्भ विज्ञान में उपाधि/ सम्बद्ध भूगर्भ विज्ञान, एम.टेक./ खनन अभियंत्रण में उपाधिधारक होना चाहिए। (Second Class, M.Sc. in Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology / Degree in Mining Engineering)
4. **उम्र सीमा:** दिनांक 01.08.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम, अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला - 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष।
- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक- 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प ज्ञापक - 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. आरक्षण:

- (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक क अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

6. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवार एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 375/- (तीन सौ पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 425/- (चार सौ पचीस) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7. अन्य:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

8. **चयन का आधार** - लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाये जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप में अंक प्राप्त किए हों जैसा कि कार्मिक

एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या - 2374 दिनांक 16.07.2007 में प्रावधानित है- अनारक्षित-40 (चात्सीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग- 36.5(साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- 34(चाँतीस) प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांग के लिए- 32 (बत्तीस) प्रतिशत।

(क) पात्र उम्मीदवारों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा के विषय, पूर्णांक, अवधि, प्रकृति एवं पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगे :-

क्र. सं.	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	सामान्य ज्ञान	100	1:30 घंटा	वस्तुनिष्ठ	संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम।
2.	खनन	100	1:30 घंटा	विषयनिष्ठ	MINING ENGINEERING: Drilling and Blasting (Mec 13101), Mine Surveying-I, Introduction to Mining, Mineralogy, Petrology and Stratigraphy, Mine Surveying-II, Geology for Mining Engineers, Surface Mining, Surface Mine Planning & Design, Mine Environmental Engineering, Mine Legislation, Mine Safety, Environmental Aspects of Mining, Open Pit Slope Analysis and Design, Dimensional Stone Mining, Mine Economics, Mine Legislation and Safety-II, Fuel Technology, Mineral Processing, Mineral Economics. उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।
	या				
	भूतत्व	100	1:30 घंटा	विषयनिष्ठ	GEOLOGY :- Structural Geology, Mineralogy & Crystallography, Igneous Petrology, Sedimentology, Metamorphic Petrology and Thermodynamics, Geomorphology & Geotectonics, General and Invertebrate Palaeontology, Stratigraphy, Ore Geology, Fuel Geology, Hydrogeology, Environmental Geology and Natural Hazards, Remote Sensing and GIS in Geology, Engineering Geology and Surveying, Mineral Exploration, Gemology, Elements of Mining and Ore Dressing, Soil Geology, Petroleum Exploration. उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।
3.	खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि जो भारत विद्यमान हैं	100	1:30 घंटा	विषयनिष्ठ	(i) Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (ii) Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 with up to date amendments. (iii) Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003 with up to date amendments. (iv) Mineral Concession Rules, 1960 (v) Mineral Conservation and Development Rules, 1988 (vi) Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोट :- सुयोग्य उम्मीदवार को खनन या भूतत्व विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।

(ख) साक्षात्कार :- 50 अंक।

9. **अंतिम मेधा सूची** :- लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

10. **अंतिम तिथि:**

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजना होगा कि गुरुवार, दिनांक 30.04.2015 की संध्या 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टि:

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मि.मी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन पत्र का प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे
 - (i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; सिन्धु, इस प्रकार भरा जाय—

रि	न	र	धा	
----	---	---	----	--
 - (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।
 - (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
- (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।
- (v) क्रमांक 10 "शैक्षिक योग्यता" के अधीन प्राप्त/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।
- (vi) स्तम्भ (कॉलम) 5 में खनन या भूतत्व विषय में से किसी एक विषय का चयन कर रिक्त आयत में अवश्य अंकित करें।
- (vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

2. फोटोग्राफ:

आवेदन पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गयी खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

3. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र:

- (i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।
- (ii) विहित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र), विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
- (iii) 16×10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40-40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना